न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून।

वाद सं0– 02/2024

धाराः– 3(1) गुण्डा अधि0
थाना–नेहरू कॉलोनी

सरकार बनाम विकेश नेगी

निर्णय

उपरोक्त वाद की कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून/थानाध्यक्ष, थाना नेहरू कॉलोनी देहरादून की आख्या दिनांक 04–04–2024 एवं सयुक्त निदेशक (विधि) देहरादून की आख्या दिनांक 15–04–2024 के आधार पर प्रारम्भ की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून/थानाध्यक्ष, थाना नेहरू कॉलोनी देहरादून द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी विकेश नेगी पुत्र सोबत सिंह निवासीः–350 वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली मार्ग धर्मपुर देहरादून एक शातिर किस्म का अपराधी है, जो जनपद क्षेत्रान्तर्गत बल्वा/जान से मारने की धमकी देने व अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने व धोखाधड़ी जैसे जघन्य अपराध कारित करने का अभ्यस्त है। विकेश नेगी उपरोक्त अपने आप को एडवोकेट बताकर अपने कार्यो में बाधा पहुँचाने वाले स्थानीय व्यक्तियों व आम–जनता को डराता धमकाता है, इसके आपराधिक क्रियाकलापों से आम जनता में इसके नाम से भय व्याप्त है। इसके डर के कारण कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध शिकायत/रिपोर्ट लिखाने व गवाई देने को तैयार नहीं होता है, व इस प्रकार के आपराधिक कृत्यों में सक्रिय चल रहा है। इसके इन कृत्यों से आम जनता में भय का माहौल व्याप्त है। इसके विरूद्ध पूर्व में थाना नेहरू कॉलोनी व जनपद देहरादून के अन्य थानों में भादवि के विभिन्न धाराओं के अपराधों में अभियोग पंजीकृत हैं। इसकी आम सौहरत ठीक नहीं है, तथा इसका समाज में स्वच्छन्द विचरण ठीक नहीं है। इसके विरूद्ध थाना नेहरू कॉलोनी व जनपद देहरादून के अन्य थानों में निम्नांकित अपराध पंजीकृत हैंः–

1ः–मु0अ0सं0ः–18/2022 धारा 447/353/186/504/506 भादवि चालानी थाना नेहरू कॉलोनी।

2ः–मु0अ0सं0ः–173/2022 धारा 147/504/506/427 भादवि चालानी थाना नेहरू कॉलोनी।

3ः–मु0अ0सं0ः–211/2022 धारा 147/504/506/427 भादवि चालानी थाना नेहरू कॉलोनी।

4 ः–मु0अ0सं0ः–78/2024 धारा 420/406/120बी भादवि चालानी थाना डोईवाला।

5ः– मु0अ0सं0ः–139/2024 धारा 420/467/468/471/504/506/120बी भादवि चालानी थाना रायपुर।

विपक्षी विकेश नेगी पुत्र सोबत सिंह निवासी 350 वीर चन्द्र सिंह गढवाली मार्ग धर्मपुर देहरादून को उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के अर्न्तगत 06 माह के लिए जनपद की सीमाओं से निष्कासित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून/थानाध्यक्ष, थाना नेहरू कॉलोनी देहरादून की आख्या के आधार पर दिनांक 17–04–2024 को वाद दर्ज कर विपक्षी को उपस्थिति हेतु नोटिस जारी किया गया, जो विपक्षी पर बजात खास तामील कराते हुये पुलिस थाना द्वारा इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया। विपक्षी न्यायालय में उपस्थित आए। विपक्षी द्वारा न्यायालय

मे आपत्ति प्रस्तुत की गयी। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति मे उल्लेख किया गया है कि विकेश नेगी बनाम सरकार याचिका संख्या 106/2021 जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की हितों की रक्षा के लिए का प्रावधान है, जिस बाबत प्रार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत सूचना प्राप्त की, जिसमें पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिको की सूची तक नही बनवाई गई है, तथा उक्त याचिका माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में विचाराधीन चल रहा है। प्रार्थी ने आबकारी विभाग/पुलिस विभाग/जिलाधिकारी एवं अन्य विभागों में उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद उत्तर प्रदेश से उर्दू अनुवादको का स्थानान्तरण उत्तराखण्ड मे हुआ, तथा उनकी नियुक्ति अस्थाई तौर पर दिनांक 28–02–1996 तक थी, जो कि स्वतः समाप्त हो गयी थी, तथा उत्तराखण्ड में उर्दू अनुवादक बिना किसी नियुक्ति के सेवारत हैं। इस सम्बन्ध में याचिका संख्या 571/2021 व 572/2021 माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के समक्ष लम्बित है। प्रार्थी के संज्ञान में आया कि देहरादून जिले में स्थित चायबाग की भूमि विक्रीत की जा रही है, जिसमें काफी भूमियाँ संलिप्त है, और आर0टी0आई0 एक्ट के अर्न्तगत सूचना प्राप्त की, तो यह भी तथ्य संज्ञान में आया कि न केवल चाय बाग की भूमि बल्कि सीलिंग की भूमि भी खुर्द बुर्द की जा रही है, इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में एक पी0आई0एल0 संख्या 88/2022 दाखिल की जो कि विकेश नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य जिसमें अंतरिम आदेश पर जिलाधिकारी देहरादून ने खरीद फरोक्त पर रोक लगाई तथा कई फर्जीवाड़े पकडे गये, जिस पर मुकदमें विचाराधीन चल रहे हैं, ऐसा भी सुना गया है कि कुछ पुलिस कर्मचारी की जमीन भी इसमें आ रही है, और लगभग 350 बीघा भूमि गैर कानूनी रूप से खरीद–फरोख्त हो रही है। इस प्रकरण में काफी व्यक्ति प्रार्थी से रंजिश रखने लगे है। प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखण्ड में जनहित याचिका संख्या 14/2023 विकेश नेगी बनाम उत्तराखण्ड सरकार दर्ज करवाई जिसमें परीक्षा में पेपर लीक होने के सम्बन्ध में विवेचना सीबीआई को स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की गई है, इसमें भी नकल माफिया प्रार्थी से रंजिश रखते हैं। प्रार्थी ने एक पी0आई0एल0 39/2023 विकेश नेगी बनाम राज्य दायर की, जिसमें प्रार्थी ने उत्तराखण्ड राज्य में जो माँस बिक्री हेतु काटा जाता है, न तो उसका मेडिकल होता है, और न ही उसके लिए कोई नियम कानून बना है। यहाँ पर भी उल्लेखनीय है कि देहरादून में कोई स्लॉटर हाउस नहीं है, तथा खुले में मीट बिक रहा है, जिसमें आम जनता को काफी स्वास्थ्य सम्बन्धी नुकसान हो रहा है। प्रार्थी ने एक पी0आई0एल0 संख्या 120/2023 विकेश नेगी बनाम उत्तराखण्ड सरकार/उत्तराखण्ड क्रिकेट एसोसिएसन दायर की है, जिसमें करोड़ो रूपये के गबन के मामले हैं। यह कि श्री अशोक कुमार तत्कालीन डीजीपी ने एक उत्तराखण्ड स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन बनाई जिसमें राकेश डोभाल नाम का व्यक्ति ऑर्गिनाइजिंग चेयमेन था, तथा तत्कालीन डी0जी0पी0 अशोक कुमार की पत्नी डॉक्टर अलकनन्दा अशोक उसकी प्रेसिडेंट थी, एवं श्री अशोक कुमार चेयरमैन थे, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि देहरादून जमीनों की रजिस्ट्री कार्यालय में हेरा–फेरी करने के आरोप में श्री कमल विरमानी अधिवक्ता और व अन्य अभियुक्त के साथ संलिप्त थे, तथा वह कई केसों में आज जेल में बंद है, तथा वही राकेश डोभाल के सिविल केसों के वकील भी है, तथा प्रार्थी के विरूद्ध जो भी मुकदमें किए गए हैं उसमें राकेश डोभाल गवाह है या रिपोर्टकर्ता है। श्री राकेश डोभाल को रिपोर्ट पंजीकृत करवाने में तथा पुलिस को अपनी तरफ घुमाने में कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि वह डीजीपी का आदमी है। प्रार्थी कुछ चित्र दाखिल कर रहा है, जिसमें राकेश डोभाल एवं डॉक्टर अलकनंदा अशोक का नाम कार्ड पर छपा हुआ है, एवं डी0जी0 श्री अशोक कुमार द्वारा शासन को भेजे गये पत्रों की प्रतिलिपि एवं शासन से प्राप्त धनराशि का विवरण भी है। नोटिस में पाँच केसों का जिक्र किया गया है, जिसमें

नम्बर एक केस में मुकदमा अपराध संख्या 18/2022 अर्न्तगत धारा 447, 353, 186, 504 व 506 आई0पी0सी0 है, जो कि ए0सी0जे0एम0 पंचम के न्यायालय में विचाराधीन दिखाया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रार्थी तथा विनोद कुमार एवं अन्य पाँच को मुलजिम बनाया गया है, जबकि चार्जसीट केवल विनोद कुमार एवं प्रार्थी के विरूद्ध ही आई है, तथा धारा 147 आईपीसी हटा दी गई है। विनोद कुमार ने एस0एस0टी0 संख्या 6/2021 विनोद कुमार बनाम सरकार आदि जो कि राकेश डोभाल व राज सिंह रावत के विरूद्ध दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने पुलिस से आख्या मांगी गयी थी, जिसमें पुलिस ने अभियुक्तगणों का पक्ष लेते हुए लिखा कि आवेदक एवं प्रतिवादीकरण के मध्य एक मात्र भूमि के कब्जे का विवाद पाया गया है, जो कि सिविल प्रकृति का है, तथा अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित की। माननीय न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट खारिज कर मामले को परिवाद के रूप में दर्ज किया है, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। इसी प्रकार अन्य एस0एस0टी0 संख्या 4/2021, तथा 11/2021 विनोद कुमार बनाम कमली भट्ट आदि जिसमें राकेश डोभाल भी अभियुक्त है, इस वाद में भी पुलिस से आख्या मांगी गई तथा पुलिस ने उपरोक्त एस0एस0टी0 की भाँति सिविल प्रकृति का वाद दिखाकर माननीय न्यायालय में दाखिल किया है, जो कि परिवाद के रूप में दर्ज होकर विचाराधीन चल रहा है। उपरोक्त वादों में प्रार्थी विनोद कुमार जो कि अनुसूचित जाति का है, का अधिवक्ता है। यह कि नोटिस के नम्बर 4 पर जो मुकदमा अपराध संख्या 78/2024 दर्शित है, जिसमें वादी ने प्रार्थी के विरूद्ध मौखिक अनुबंध के आधार पर झूठा केस किया है, तथा विवेचना विचाराधीन है। नम्बर 5 पर अपराध संख्या 139/2024 दिया गया है कि उनके पास कु0 गीता प्रसाद की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी है, जहाँ तक प्रार्थी को मालूम है कि कमल प्रसाद और कु0 गीता प्रसाद चचेरे भाई–बहन हैं, तथा उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी सही है, और उसमें शिकायतकर्ता कु0 गीता प्रसाद से मिल गया है, और उक्त की बाबत आपस में विवाद सुलझाकर लेनदेन चल रहा है। मुकदमा अपराध संख्या 73/2022 लिख गया तो उससे पूर्व दिनांक 18–05–2022 को जिसमें विनोद कुमार के द्वारा उच्च न्यायालय का आदेश जिसमें प्रार्थी विनोद कुमार ने सुरक्षा हेतु आदेश पारित करने हेतु प्रार्थना की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में आदेश दिया कि आप पुलिस अथॉरिटी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। विनोद कुमार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति दिनांक 19–05–2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को भी भेजी, इस आदेश में क्षुब्ध होकर राकेश डोभाल ने दिनांक 31–05–2022 को झूठी रिपोर्ट प्रार्थी के खिलाफ लिखवाई। प्रार्थी को जो नोटिस दिया गया है वह धारा 3(1) गुण्डा एक्ट में दिया गया है, तथा उक्त में प्रार्थी का मामला नहीं आता है, एवं प्रार्थी को दिनांक 17–04–2024 को दिया गया नोटिस पोषणीय नहीं है, तथा निरस्त होने योग्य है।

दिनांक 21–05–2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर विपक्षी द्वारा बयान अंकित कराये गये, जिसमें विपक्षी द्वारा अपने बयान में उल्लेख किया गया है कि मैं कचहरी में वकालत का काम करता हूँ। मैं आर0टी0आई0 का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैं समय–समय पर विभागों से हुई घोटालों की आर0टी0आई0 विधिक रूप से प्राप्त करता हूँ, फिर मैं माननीय उच्च न्यायालय में पी0आई0एल0 लगाता हूँ। जिन पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा कार्यवाही की गई। जैसे चायबगान घोटाला, किक्रेट घोटाला, नगर निगम में बिना शैलोटर हाउस के मीट विक्रय करने के सम्बन्ध, उर्दू अनुवादक और सीनियर सिटीजन सुरक्षा हेतु बने एक्ट के अनुपालन में मेयर सुनील उनियाल गामा, पार्षद कमली भट्ट व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिये गये हैं, जो विचाराधीन हैं। मेरे विरूद्ध इन लोगों से मिलकर मेरे विरूद्ध पूर्व पुलिस के

डी0जी0पी0 के दवाब में आकर नेहरू कॉलोनी थाने में मनगढ़ आधार पर जी0डी0 में फर्जी एन्ट्री कर मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं समाज में एक सम्मानित व्यक्ति हूँ, और विसिल ब्लोवर हूँ। मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति को डराया धमकाया नहीं, और न किसी से अवैध धन प्राप्त किया। जो नेहरू कॉलोनी थाने में 03 मुकदमें दर्ज कराये वह राकेश डोभाल व नगर निगम ने करवाये। उक्त मुकदमें मेयर सुनील उनियाल गामा व पूर्व डी0जी0पी0 के दवाब में करवाये, क्योंकि ये समस्त मामले वर्ष 2019 से लम्बित हैं। राकेश डोभाल और नगर निगम दोनों पक्षकार हैं। दोनों में सिविल कोर्ट व डी0जे0 कोर्ट से स्टे हो रखा है, और मेरे क्लाईट विनोद कुमार जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, तथा 1992 से उस भूमि पर काबिज हैं, एवं राकेश डोभाल और पार्षद के विरूद्ध 2021 से लगातार तहरीर नेहरू कॉलोनी थाने, डी0जी0पी0 के ऑफिस में देते आ रहे है, परन्तु पुलिस द्वारा आज तक इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद विनोद द्वारा ए0डी0जे0 (पंचम) के यहाँ एस0टी0एस0सी0 एक्ट के अर्न्तगत 156(3) दायर कराई, जिसमें कोर्ट ने उसको शिकायती परिवाद के रूप में दर्ज कर पुलिस से आख्या मांगी। पुलिस ने अपनी तीनों रिपोर्टों में लिखकर दिया कि ये सिविल प्रकृति के मामले हैं, जबकि पुलिस ने मेरे विरूद्ध सिविल प्रकृति के वादों को अपराधिक मामलों के रूप में प्रयोग किया।

संयुक्त निदेशक (विधि) देहरादून द्वारा विपक्षी के उक्त बयानों में जिरह की गयी। विपक्षी द्वारा जिरह में कहा गया कि मैं अधिवक्ता एक्ट के अर्न्तगत भी आर0टी0आई0 सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर सकता हूँ। मैनें जो पी0आई0एल0 उच्च न्यायालय में योजित की उसमें मेरे विरूद्ध पंजीकृत अपराधों का कोई भी पक्षकार नहीं है। स्वयं कहा कि इसमें राकेश डोभाल पी0आई0एल0 में पक्षकार है। चाय बगान वाली पी0आई0एल0 में राकेश डोभाल ने मेरे विरूद्ध 2022 में मुकदमें लिखवाये गये थे। क्राईम नम्बर 18/2022 में वादी नगर निगम है। राकेश डोभाल गवाह है, जो बद्रीश कॉलोनी में विनोद कुमार की सम्पत्ति बाबत है, तथा अपराध संख्या 173/2022 व 211/2022 भी इसी सम्पत्ति का है, जिसमें वादी राकेश डोभाल है। यह सही है कि इन तीनों अपराधों में मेरे विरूद्ध भी आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। मु0अ0सं0 78/2024 थाना डोईवाला में पंजीकृत है, जिसमें अभिषेक नौटियाल वादी है। इस अपराध में यह आरोप लिखा गया है कि एस0सी0 की जमीन को गलत तरीके से बेचा गया और बिकी हुई जमीन का दोबारा रजिस्ट्री की गई। इस पर गवाह ने कहा यह अपराध विवेचनाधीन है। मु0अ0सं0 139/2024 थाना रायपुर के वादी अशोक अग्रवाल है, जिन्होनें यह आरोप लगाया गया है कि आपने अपने ड्राईवर, दीपक व कमल प्रसाद, योगेन्द्र उपाध्याय उर्फ रोजी व गीता प्रसाद के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उससे धोखाधड़ी की व उसे ठग लिया। इस सम्बन्ध में गवाह ने कहा कि यह गलत है। मुकदमा अभी विवेचनाधीन है। यह सही है कि मेरे विरूद्ध जो फर्जी अपराध पंजीकृत हैं वह फर्जी हैं, उनमें से 03 अपराध वर्ष 2022 व 02 अपराध वर्ष 2024 के हैं। गुण्डा एक्ट की रिपोर्ट मेरे विरूद्ध दिनांक 04–04–2024 को आई है, जो गलत तथ्यों पर है। यह बात सही है कि पूर्व डी0जी0पी0 श्री अशोक कुमार नवम्बर 2023 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मैं गुण्डा एक्ट को भलीभाँती जानता हूँ। आपके विरूद्ध पंजीकृत अपराध अधिनियम में गुण्डा की परिधि में आते हैं, के सम्बन्ध में गवाह ने कहा यह कहना गलत है कि मैं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हूँ, और सम्पत्ति पर कब्जा करने व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सम्पत्ति के क्रय विक्रय के अपराधों में लिप्त हूँ गलत है। यह कहना भी गलत है कि अपने उपरोक्त आपराधिक कृत्यों को छिपाने के लिए मैं पी0आई0एल0 व मंत्री, मेयर पार्षद आदि का नाम ले रहा हूँ।

विपक्षी स्वयं द्वारा अधिवक्ता अपने समर्थन में कथन किया गया कि विपक्षी पेशे से अधिवक्ता है, तथा सभ्रान्त व्यक्ति है, तथा उसके द्वारा भिन्न-भिन्न विभागों में आर0टी0आई0 एवं माननीय उच्च न्यायालय में योजित पी0आई0एल0 के कारण पूर्व डी0जी0पी0 से प्रभाव में आकर उसके विरूद्ध झूठे अपराध पंजीकृत करवायें हैं, तथा पंजीकृत अपराध गुण्डा एक्ट की परिधि में नही आते हैं, जिस कारण उसके विरूद्ध निर्गत नोटिस वापस किया जाये।

सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की ओर से संयुक्त निदेशक (विधि) देहरादून एवं विपक्षी उपस्थित है। सयुक्त निदेशक (विधि) द्वारा तर्क पेश किया गया कि अभिलेखानुसार विपक्षी उक्त क्षेत्रान्तर्गत जान से मारने की धमकी देने और सम्पत्ति कब्जा करने सम्बन्धी अपराधों के लिए लिप्त है, जिसके समर्थन में पुलिस आख्या में विपक्षी के विरूद्ध पजीकृत अपराधों का विवरण मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी की समाज मे सामान्य ख्याति दुस्साहसपूर्ण है व उसके विरूद्ध थाना नेहरू कॉलोनी, डोईवाला एवं रायपुर में भादवि के 05 अभियोग पंजीकृत है, जिनमें से कुछ माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, तथा कुछ विवेचनाधीन है। विपक्षी एक शातिर किस्म का अपराधी है व जनपद क्षेत्रान्तर्गत बल्वा/जान से मारने की धमकी देने व अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने व धोखाधडी जैसे जघन्य अपराध कारित करने का अभ्यस्त है। विपक्षी अपने द्वारा किये गये उक्त गम्भीर प्रकृति के अपराधों को छिपाने के लिये उच्चाधिकारियों पर आरोप संचित किये गये हैं, जो कि नितान्त दस्तावेजों के विपरीत हैं, क्योंकि विपक्षी एक व्यवसायी अधिवक्ता है, तथा उन्हें यह भी जानकारी है कि किसी भी लोक सेवक के विरूद्ध तथ्यहीन आरोप रचित करना भी एक अनुचित आचरण है। उक्त के अतिरिक्त थाना नेहरू कॉलोनी में भूमि एस0आई0टी0 से अपराध पंजीकृत होने पर भी विपक्षी द्वारा उच्चाधिकारी पर भी इसी प्रकार की टिप्पणी की पुनरावृत्ति की गयी है, जिन उच्चाधिकारियों या पदाधिकारियों के विरूद्ध आरोप रचित किये गये हैं, वे विपक्षी के विरूद्ध पजीकृत अपराधों के पक्षकार भी नहीं है, तथा विवेचना उपरान्त विपक्षी के विरूद्ध 2 अभियोग में आरोप पत्र भी प्रेषित किये जा चुके हैं, एवं विपक्षी द्वारा कारित कृत्य/अपराध गुण्डा अधिनियम की धारा 2(ख)(i) व (vii) के प्राविधानों की परिधि में आता है। पंजीकृत/आरोपित वादों में विपक्षी द्वारा कारित अपराध भय में डालकर भूमि पर कब्जा करने आदि के स्पष्ट आरोप उल्लेखित हैं, तथा आम जनमानस में भय व्याप्त है, जिस कारण विपक्षी को जनपद देहरादून की सीमाओं से जिला बदर करने का अनुरोध किया गया है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा राज्य की ओर से संयुक्त निदेशक (विधि) एवं विपक्षी को विस्तारपूर्वक सुना गया। विपक्षी बहस के दौरान उपस्थित हुआ। पत्रावली पर उपलब्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून/थानाध्यक्ष, थाना नेहरू कॉलोनी देहरादून की आख्या तथा संयुक्त निदेशक (विधि) के तर्को से स्पष्ट है कि विपक्षी एक शातिर किस्म का अपराधी है, व वर्तमान में सक्रिय है, तथा आमजनमानस में अभियुक्त विकेश नेगी उपरोक्त का भय व्याप्त है, इसलिए विपक्षी को धारा 3(1) गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 के अर्न्तगत जनपद की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। पत्रावली का अवलोकन करने एवं सरकार की ओर से प्रस्तुत तर्क से सहमत होते हुये विपक्षी के विरूद्ध गुण्डा अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत है। तद्नुसार निम्न आदेश पारित किया जाता है:-

आदेश

विपक्षी विकेश नेगी पुत्र सोबत सिंह निवासी:-350 वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली मार्ग धर्मपुर देहरादून को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के अर्न्तगत 06 माह के लिए जनपद देहरादून से निष्कासित किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। थानाध्यक्ष,

थाना नेहरू कॉलोनी देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय/आदेश की एक प्रति विपक्षी को विधिवत तामिल कराकर आदेश का अनुपालन करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना मेरे न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगें। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांकः- 23/07/2024

(सोनिका)
जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

7/6

थानाध्यक्ष
थाना नेहरू कॉलोनी
देहरादून,

कृ० नियमानुसार उक्त आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

24/7/24